1-6-08 6/12-08

-1-

नकल आदेश दिनांक 22-12-07 वाद सं० 41/07-08 धारा 143 ज०वि०अधि० Act- ग्राम कमलाबाद बढ़ौली परगना, परगना तहसील व जि० लखनऊ सुशीला देवी बनाम उ०प्र० सरकार (तारीख फैसला 22-12-07 उप परगनाधिकारी व जि० लखनऊ)

101/R.A
22-12-07

फोटोकॉपी जिसमें दिया गया नकल आदेश दिनांक 22-12-07 की प्रमाणित कॉपी प्राप्ति संलग्न कीजिये

-2-

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, बख्शी का तालाब, लखनऊ
श्रीमती सुशीला बोरा बनाम उ0प्र0 सरकार
वाद संख्या :- 51/07-08
धारा :- 143 L.R.Act
ग्राम :- कमलाबाद बढ़ौली
परगना :- महोना

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही श्रीमती सुशीला बोरा के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी। जिसमें कहा गया है कि भूमि गाटा सं0 970 रकबा 0.320हे0, 971 रकबा 0.70हे0, 994 रकबा 0.114हे0, 995 रकबा 0.190हे0, 997 रकबा 0.101हे0, 1048 रकबा 0.557हे0, 1049 रकबा 0.040हे0 स्थित ग्राम कमलाबाद बढ़ौली परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जिला लखनऊ की स्वामिनी है। यह कि एक लम्बे समय से उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। यह कि उपरोक्त भूखण्ड के इर्द-गिर्द की लगभग सभी भूमि कृषि के अतिरिक्त प्रयुक्त हो रही है। यह कि प्रार्थिनी अपनी उपरोक्त भूमि से अधिकतम उपयोगिता अर्जित करने हेतु कृषि के अतिरिक्त प्रयोग चाहता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी की उपरोक्त भूमि को कृषि के अतिरिक्त प्रयोजन हेतु घोषित करने हेतु उचित एवं सम्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

उक्त के प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार बख्शी का तालाब से आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें कहा गया प्रश्नगत भूमि गाटा सं0 970/0.320, 971/0.070, 1049/0.040 तथा 1048/0.557 कुल 4 किता कुल रकबा 0.987 हे0 खतौनी ग्राम कमलाबाद बढ़ौली परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ सन् 1414-1419 में खाता सं0 293 पर श्रीमती सुशीला बोरा पत्नी डी0पी0 बोरा व कल्पना मंगलम पत्नी अन्वेष मंगलम के नाम सं0भू0 दर्ज है तथा गाटा सं0 994/0.114, 997/0.101 कुल 2 किता कुल रकबा 0.215 खाता सं0 443 पर सुशीला बोरा पत्नी डी0पी0 बोरा का नाम सं0भू0 दर्ज है। इसी प्रकार गाटा सं0 995/0.190 खाता सं0 486 पर श्रीमती सुशीला बोरा पत्नी श्री डी0पी0 बोरा के नाम सं0भू0 के रूप में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही भूमि किसी अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त की जा रही है। भूमि मौके पर खाली पड़ी है। जाँच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उक्त आख्या प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थिनी द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया कि शपथी आराजी गाटा सं0 970 रकबा 0.320हे0, गाटा सं0 971 रकबा 0.070हे0, गाटा सं0 994 रकबा 0.114हे0, गाटा सं0 995 रकबा 0.190हे0, गाटा सं0 997 रकबा 0.101हे0, गाटा सं0 1048 रकबा 0.557हे0, गाटा सं0 1049 रकबा 0.040हे0, स्थित ग्राम कमलाबाद बढ़ौली क्रय किया था तथा शपथी का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा शपथी उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर शिक्षण संस्था खोलना चाहती है, इसलिए शपथी उक्त भूमि का

(3)

भू–उपयोग बदल कर शैक्षिक संस्था के रूप में प्रयोग करना चाहती है। यह कि शपथी द्वारा उक्त जमीन क्रय करने के बाद कभी भी कृषि कार्य नही किया गया है, और वर्तमान समय में भी कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा शपथी द्वारा भविष्य में भी इस जमीन पर कृषि कार्य नही किया जायेगा।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार बीकेटी की आख्या का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी कार्य नही किया जा रहा है बल्कि प्रार्थिनी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी से भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त प्रार्थिनी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी भविष्य में भी उक्त जमीन पर कृषि कार्य नही करेगा। ऐसी स्थित में प्रश्नगत भूमि को धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना उचित एवं विधि संगत है।

आदेश

अतः ग्राम कमलाबाद बढ़ौली परगना महोना तहसील बीकेटी जिला लखनऊ की भूमि सं0 970 रकबा 0.320है0, भूमि सं0 971 रकबा 0.070है0, भूमि सं0 1049 रकबा 0.040है0, भूमि सं0 1048 रकबा 0.557है0, भूमि सं0 994 रकबा 0.114है0, भूमि सं0 997 रकबा 0.101है0, भूमि सं0 995 रकबा 0.190है0, को मालगुजारी (60ख अनुसार) से मुक्त करते हुए प्रार्थीनी श्रीमती सुशीला बोरा द्वारा उक्त भूमि का कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन बागवानी से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत इस शर्त के साथ प्रख्यापित किया जाता है कि प्रार्थिनी द्वारा यदि भविष्य में कृषि कार्य किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित करें। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार बख्शी का तालाब को खतौनी में तद्नुसार प्रविष्टि करने हेतु प्रेषित हो तथा एक प्रति सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार को जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे निबन्धित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबध करने के बाद निबन्धन का दिनांक मिसिलबन्द रजिस्टर सख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

प्रतिलिपिकर्ता ... ...
तुलनाकर्ता ... ...
दिनांक ... 22-12-07

(राहुल सिंह)
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
बख्शी का तालाब, लखनऊ

निर्णय आज दिनांक 22.12.07 को खुले न्यायालय में उदघोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(राहुल सिंह)
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
बख्शी का तालाब, लखनऊ

22-12-07
22-12-07
22-12-07
12-8...
...369 ...

प्रमाणित प्रतिलिपि
22-12-7
बख्शी का तालाब लखनऊ

-1- (6/[illegible])

102/RA
22-12-07

नकल आदेश दिनांक 22-12-07 वाद सं० 43/07-08 धारा 143ZA-LR
ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible] जि० लखनऊ,
[illegible] न्यायालय [illegible] उ०प्र० [illegible] फैसला 22-12-07 [illegible]
[illegible], बी० के० टी०, लखनऊ।

फोलियो [illegible] नकल आदेश दिनांक 22-12-07
की प्रमाणित कॉपी प्राप्त [illegible]

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी बख्शी का तालाब, लखनऊ

श्रीमती आशा अग्रवाल बनाम उ0प्र0 सरकार
वाद संख्या :– 43/07–08
धारा :– 143 ज0वि0 एवं भू0व्या0अधि0
ग्राम :– कमलाबाद बढ़ौली
परगना महोना
निर्णय

.....

प्रस्तुत वाद कार्यवाही प्रार्थिनी श्रीमती आशा अग्रवाल के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी जिसमें कहा गया कि प्रार्थिनी गाटा सं0 1033/0.772हे0, 1034/0.247हे0, 1036/0.253हे0 स्थित ग्राम कमलाबाद बढ़ौली परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ की स्वामिनी है। यह कि एक लम्बे समय से उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। यह कि उपरोक्त भूखण्ड के इर्द–गिर्द की लगभग सभी भूमि कृषि के अतिरिक्त प्रयुक्त हो रही है। यह कि प्रार्थिनी अपनी उपरोक्त भूमि से अधिकतम उपयोगिता अर्जित करने हेतु कृषि के अतिरिक्त प्रयोग चाहता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी की उपरोक्त भूमि को कृषि के अतिरिक्त प्रयोजन हेतु घोषित करने हेतु उचित एवं सम्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्रादिधानों के अन्तर्गत तहसील से आख्या प्राप्त की गयी। नायब तहसीलदार बख्शी का तालाब द्वारा अपनी आख्या दिनांक 2.11.07 व दिनांक 20.12.07 में कहा गया कि गाटा सं0 1033 रकबा 0.772हे0 तथा गाटा सं0 1034 रकबा 0.247हे0 तथा गाटा सं0 1036 रकबा 0.253हे0 प्राथिनी के नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त की जा रही है। वर्तमान में भूमि मौके पर खाली पड़ी है। इस प्रकार आख्या इस न्यायालय को प्रेषित की गयी।

उक्त आख्या प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थिनी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि शपथी आराजी गाटा सं0 1033 रकबा 0.772हे0, गाटा सं0 1034 रकबा 0.247हे0, गाटा सं0 1036 रकबा 0.253हे0, स्थित ग्राम कमलाबाद बढ़ौली, परगना महोना, तहसील बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ क्रय किया था तथा शपथी का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा उक्त आराजी पर काबिज व दखील है। यह कि शपथी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर शिक्षण संस्था खोलना चाहती है। इसलिए शपथी उक्त भूमि का भू–उपयोग बदल कर शैक्षिक संस्था के रूप में प्रयोग करना चाहती है। यह कि शपथी द्वारा उक्त जमीन क्रय करने के बाद कभी भी कृषि कार्य नहीं किया गया है और वर्तमान समय में भी कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। तथा भविष्य में भी इस जमीन पर कृषि कार्य नहीं किया जायेगा। यह कि शपथी उक्त खसरा नम्बरों की भूमि का भू उपयोग बदलकर शिक्षा प्रयोजन में ही किया जाना है।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं नायब तहसीलदार बख्शी का तालाब की आख्या का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी, कार्य नहीं किया जा रहा है। बल्कि प्रार्थिनी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग कृषि, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी, से भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त प्रार्थनी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी भविष्य में भी उक्त जमीन पर कृषि कार्य नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि

की धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना उचित एवं विधि संगत है।

आदेश

अतः ग्राम कमलाबाद बदौली परगना महोना तहसील बी0के0टी0 जिला लखनऊ की भूमि सं0 1036 रकबा 0.253हे0, भूमि सं0 1033 रकबा 0.772हे0, भूमि सं0 1034 रकबा 0.247हे0 को मालगुजारी (60 ख अनुसार) से मुक्त करते हुए प्रार्थिनी श्रीमती आशा अग्रवाल द्वारा उक्त भूमि का कृषि, मत्स्यपालन, बागवानी, से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत इस शर्त के साथ प्रख्यापित किया जाता है कि यदि प्रार्थी द्वारा भविष्य मे कृषि कार्य किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित करें। आदेश की एक सत्य प्रतिलिप तहसीलदार बख्शी का तालाब को खतौनी में तदनुसार प्रविष्ट करने हेतु प्रेषित हो तथा एक प्रति सम्बंधित सब रजिस्ट्रार को जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे निबंधित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक मिसिलबन्द रजिस्टर संख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(राहुल सिंह)
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

निर्णय आज दिनांक 22.12.07 को खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(राहुल सिंह)
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

22-12-07

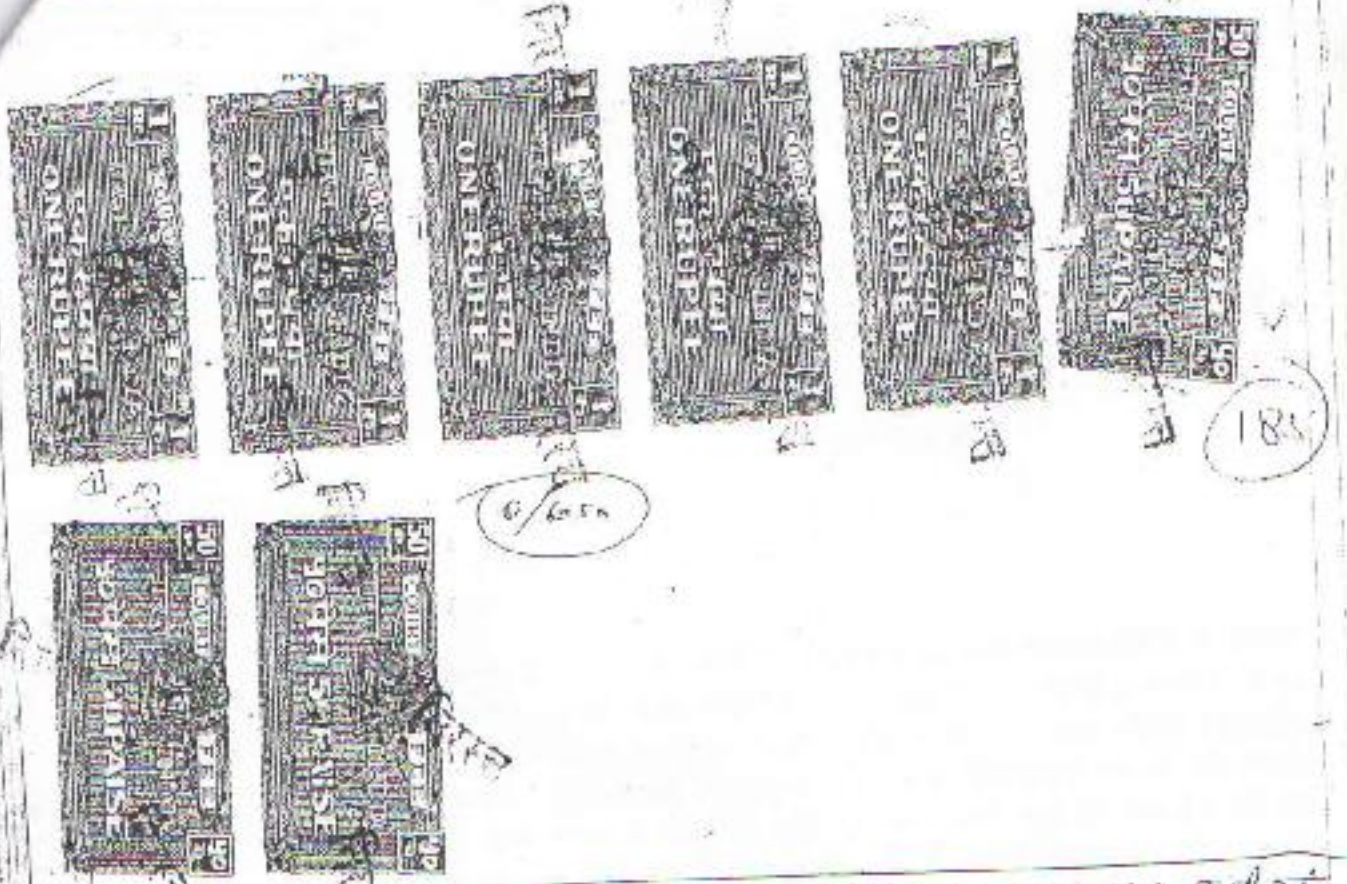

COURT FEE ONE RUPEE

COURT FEE ONE RUPEE

COURT FEE ONE RUPEE

COURT FEE ONE RUPEE

COURT FEE ONE RUPEE

COURT FEE 50 FIFTY PAISE

COURT FEE 50 FIFTY PAISE

COURT FEE 50 FIFTY PAISE

[illegible] 5-11-07 [illegible] 17/07-07 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 5-11-07 [illegible]

[illegible] 5-11-07 [illegible]
[illegible]

Bansal Institute of Engineering & Technology
Lucknow

न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, बख्शी का तालाब, लखनऊ

गिरजा शंकर अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

वाद संख्या :–17/07-08

धारा :– 143 :– Z.A.L.R.Act

ग्राम :– कमलाबाद बढ़ौली

परगना :– महोना

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही प्रार्थी गिरजाशंकर अग्रवाल के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी। जिसमें कहा गया कि गाटा सं0 1031 रकबा 0.337हे0, 1032 रकबा 0.220हे0, 1050 रकबा 0.300हे0, 1051 रकबा 0.300हे0, 1052 रकबा 0.250हे0, 1053 रकबा 0.475हे0 कुल रकबा 1.882हे0 स्थित ग्राम कमलाबाद बढ़ौली का स्वामी है। यह कि एक लम्बे समय से उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। यह कि उपरोक्त भूखण्ड के इर्द गिर्द की लगभग सभी कृषि के अतिरिक्त प्रयुक्त हो रही है। यह कि प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि से अधिकतम उपयोगिता अर्जित करने हेतु कृषि के अतिरिक्त प्रयोग चाहता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को कृषि के अतिरिक्त प्रयोजन हेतु घोषित करने हेतु उचित एवं सम्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थनापत्र प्राविधानो के अन्तर्गत तहसीलदार बी0के0टी0 से आख्या प्राप्त की गयी जिसमें कहा गया कि कृपया हे0 लेखपाल की आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें भूमि गाटा सं0 1050/0.300, 1051/0.300, 1052/0.250, 1053/0.475में वर्ष 2007 में रबी की फसल में गेहूँ बोया गया था। उसके बाद से भूमि मौके पर खाली पड़ी है। शेष भूमि गाटा सं0 1031/0.337हे0, 1032/0.220हे0, भी मौके पर खाली है। वर्तमान समय में उपर्युक्त गाटा संख्याओं पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उक्त आख्या प्राप्त होने के पश्चात् प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसके द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि क्रय करने के बाद कभी भी कृषि कार्य नही किया गया है और वर्तमान समय में भी कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा उसका उपयोग सेवा अस्पताल व ब्रज की रसोई (रिजार्टस) के व्यवसाय के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है।

पत्रावली/उक्त पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार बी0के0टी0 की आख्या का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है बल्कि उक्त भूमि पर सेवा अस्पताल व ब्रज की रसोई (रिजार्टस) का व्यवसाय किया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त भूमि नम्बरान पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुटपालन, बागबानी कार्य नही किया जा रहा है बल्कि प्रार्थी द्वारा

Institute of Engineering & Technology Lucknow

(3)

को धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना उचित एवं विधि संगत है।

आदेश

अतः ग्राम कमलाबाद बढ़ौली परगना महोना तहसील बी0के0टी0 जिला लखनऊ की भूमि सं0 1036 रकबा 0.253हे0, भूमि सं0 1033 रकबा 0.772हे0, भूमि सं0 1034 रकबा 0.247हे0 को मालगुजारी (60 ख अनुसार) से मुक्त करते हुए प्राथिनी श्रीमती आशा अग्रवाल द्वारा उक्त भूमि का कृषि, मत्स्यपालन, बागवानी, से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किए जाने के कारण 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत इस शर्त के साथ प्रख्यापित किया जाता है कि यदि प्रार्थी द्वारा भविष्य में कृषि कार्य किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित करें। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार बख्शी का तालाब को खतौनी में तदनुसार प्रविष्ट करने हेतु प्रेषित हो तथा एक प्रति सम्बधित सब रजिस्ट्रार को जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निदेश के साथ प्रेषित कि इसे निबंधित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक सिसिलबन्द रजिस्टर संख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(राहुल सिंह)
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

निर्णय आज दिनांक 22.12.07 को खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(राहुल सिंह)
असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

22-12-07